[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 50/2021-सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 14 सितम्बर, 2021

सा.का.नि. ..... (अ)- जहां कि यूरोपीय संघ में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित "रबर केमिकल पीएक्स-13" और चीन जनवादी गणराज्य में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित "रबर केमिकल एमओआर" जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है), के क्रमश: अध्याय 29 और 38 में आते हैं, के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने अंतिम निष्कर्ष में, जिसे अधिसूचना संख्या 15/05/2016-डीजीएडी, दिनांक 2 सितम्बर, 2017 में प्रकाशित किया गया था, में इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि;

(i) विषयगत वस्तु का विषयगत देश से भारत में इसके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर निर्यात किया गया था जिसके कारण यहां इसकी भरमार हो गई थी ।

(ii) विषयगत देश से प्रश्नगत उत्पाद की भरमार के कारण यहां के घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई थी ।

(iii) यह सारवान क्षति विषयगत देश से विषयगत वस्तु के फालतू आयात के कारण हुई थी ।

और उन्होंने घरेलू उद्योग को होने वाली इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत वस्तु जो कि विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित थी और भारत में आयातित थी, के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की थी ।

और जहां कि निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर केन्द्र सरकार ने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 54/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 17 नवम्बर, 2017, जिसे सा.का.नि. 1427 (अ), दिनांक 17 नवम्बर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत विषयगत वस्तु पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाया था;

और जहां कि सोलुटिया यूरोप बीवी ने निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह अनुरोध किया था कि ये अपने अंतिम निष्कर्षों में, जिसे अधिसूचना संख्या 15/05/2016-डीजीएडी, दिनांक 2 सितम्बर, 2017 के तहत

भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में, प्रकाशित किया गया था, में निर्यातक कंपनी का नाम "सोलुटिया यूरोप बीवीबीए/एसपीआरएल" से बदलकर "सोलुटिया यूरोप बीवी" कर दें;

और जहां कि विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अपने संशोधन अधिसूचना संख्या 7/48/2020-डीजीटीआर, दिनांक 6 मई, 2021, जिसे दिनांक 6 मई, 2021 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I , खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत इस निर्णय पर पहुंचें हैं कि यह अनुरोध केवल नाम परिवर्तन की श्रेणी में आता है और इसमें कारोबार की मूलभूत प्रकृति में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की बात निहित नहीं है और उन्होंने यह सिफारिश की है कि उनके अंतिम निष्कर्षों अर्थात अधिसूचना संख्या 15/05/2016-डीजीएडी, दिनांक 2 सितम्बर, 2017 में निर्यातक का नाम "सोलुटिया यूरोप बीवीबीए/एसपीआरएल" से बदलकर "सोलुटिया यूरोप बीवी" कर दिया जाए ।

अत: अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तु की पहचान, उनका आंकलन तथा उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, उपर्युक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के अंतिम निष्कर्षों में उपर्युक्त संशोधनों पर विचार करने के पश्चात, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 54/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 17 नवम्बर, 2017, जिसे सा.का.नि. 1427 (अ), दिनांक 17 नवम्बर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है,यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 1 के समक्ष,-

(i) कॉलम (6) की प्रविष्टि में "सोलुटिया यूरोप एसपीआरएल/बीवीबीए, बेल्जियम" अक्षर एवं शब्दों के स्थान पर "सोलुटिया यूरोप बीवी" अक्षर एवं शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाता है;

(ii) कॉलम (7) की प्रविष्टि में "सोलुटिया यूरोप एसपीआरएल/बीवीबीए, बेल्जियम" अक्षर एवं शब्दों के स्थान पर "सोलुटिया यूरोप बीवी" अक्षर एवं शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाता है;

(फाइल संख्या सीबीआईसी-190354/175/2021-टीआरयू अनुभाग -सीबीईसी)

राजीव रंजन

(राजीव रंजन)

अवर सचिव, भारत सरकार